भारतीय जीवन बीमा निगम

इलेक्ट्रॉनिक समशोधन सेवा (ई.सी.एस.) द्वारा प्रीमियम भरने के लिये आदेश पत्र

परिपत्र अ : ई.सी.एस. आदेश पत्र. (भा.जी.बी.नि. शाखा कार्यालय मे प्रस्तुत करने हेतु.)
आवश्यक सुचना : परिपत्र भरने से पहले कृपया पृष्ठ संख्या 3 पर दिए निर्देश एवं नियम अवश्य पढ ले.

नया		बैंक विवरण में परिवर्तन		ECS निरस्तीकरण	

(सही पर निशान लगाएँ और बाकी काट दें)

ई.सी.एस. द्वारा प्रीमियम भरने के लिये LIC का प्रयोक्ता कोड (User Code) 4009056 है.

1. (अ) पॉलिसी धारक/कों का/के नाम : _____

(ब) पॉलिसियों की जानकारी.

क्र.	प्रपोजल/पॉलिसी सं.	बीमाधारक का नाम	विधी	प्रीमियम राशी

(क) टेलिफोन नं. निवास : _____ कार्यालय : _____ मोबाईल : _____

ई-मेल आई. डी. : _____

2. बैंक खाते के विषय मे जानकारी (जिसके द्वारा प्रीमियम भरा जाएगा) :

(अ) बैंक का नाम : ----------

(ब) शाखा का नाम व पता : ----------

(स) खाताधारक का नाम : ----------

(ड) खाता टाईप (सेविंग-10; करंट-11; कैश क्रेडिट-13) : _____

(ई) एकाउंट संख्या (जिस प्रकार चैक पुस्तिका में दर्शित है) :

(फ) 9 अंको की MICR कोड संख्या :

3. (1) मै/हम अपने बैंक को निर्देश देते है कि मेरे/हमारे खाते में से प्रिमियम राशि रु. _____ अथवा LIC द्वारा डिमांड इनवाइस मे दर्शाई राशि डेबिट कर LIC को दी जाए.

(2) यदी भविष्य में मेरा/हमारा बैंक खाता उस शहर में स्थानांतरित होता है जहाँ ई.सी.एस. सुविधा नहीं है, तो मै/हम भुगतान विधि में बद्लाव, जिसमे प्रिमियम राशी मे बद्लाव हो सकता है, की स्वीकृती देता हूँ/देते है ।

(3) मै/हम इस आदेश पत्र के मेरे/हमारे प्रपोजल के पुर्ण भाग होने को स्वीकार करता/करते हूँ/है ।

मै/हम यह घोषित करता हूँ/करते है कि उपरोक्त वर्णन यथोतथ्य एवं संपुर्ण है । मै/हम जो कि उपरोक्त पॉलिसी/सियों के धारक हूँ/है, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय समशोधन प्रकोष्ठ की ई.सी.एस. सुविधा मे सहभागी होकर प्रिमियम राशि भेजने के लिए अपनी सम्मति देता हूँ/देते है । और भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकृत करते है कि उपरोक्त प्रिमियम के लिए मेरे/हमारे खाते मे डेबिट अनुरोध भेजा जाए । यदि कोई भुगतान गलत या अपुर्ण सुचना अथवा खाते मे पर्याप्त राशि न होने, खाते के बंद होने आदि की स्थिति में असफल या विलंबित होता है तो मै प्रयोक्त संस्था को उत्तरदायी नही ठहराउंगा । मुझे ज्ञात है कि अधिकृत करने के पश्चात प्रथम ट्रांसेक्शन कि प्रक्रिया में एक माह तक समय लग सकता है । मुझे यह भी ज्ञात है कि मै इस विधि द्वारा केवल उन निकट संबंधियों के निमित्त प्रिमियम भर सकता हूँ जो आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित है । मै/हम ई.सी.एस. के नियम एवं शर्तोंको पढ व समझ चुके है व वे हमें स्वीकार है ।

स्थान : ---------- दिनांक : ---------- बीमाधारक के हस्ताक्षर खाताधारक के हस्ताक्षर (यदि खाताधारक व बीमाधारक भिन्न है)

खाताधारक का पहिली पॉलिसीके बीमाधारक से संबंध. :

1. हम यह प्रमाणित करते है कि हमारे रिकार्ड के अनुसार बैंक खाते की उपरोक्त विवरण ठीक है व खाता सक्रिय है ।
2. हमें ई.सी.एस. मेंडेट प्राप्त हुआ है व मेंडेट मे दिए गए निर्देशों के कार्यांवयन के लिए नोट करते है ।

दिनांक :

परिपत्र ब : LIC शाखा कार्यालय द्वारा ई.सी.एस. आदेश पत्र प्राप्ति की सूचना
(ई.सी.एस. आदेश पत्र प्राप्त करने के बाद बीमा धारक को दिया जाना है।)

श्री/श्रीमति ---------- द्वारा दि. ---------- को आदेश पत्र प्राप्त किया जिसमें निम्न विवरण है ।

पॉलिसी संख्या	प्रिमियम राशि		पॉलिसी संख्या	प्रिमियम राशि		पॉलिसी संख्या	प्रिमियम राशि

नई पॉलिसी : प्रपोजल सं. _____ दिनांक : _____

बैंक विवरण :

1. बैंक का नाम : ----------
2. खाता धारक का/के नाम : ----------
3. खाता प्रकार : ----------
4. खाता संख्या (जिस प्रकार चेक बुक मे दर्शित है।) ----------
5. 9 अंको की MICR संख्या : ----------

.

---------- के द्वारा प्राप्त एवं सत्यापित. शाखा : ---------- दिनांक : ----------

---

परिपत्र क : बैंक के लिए प्राधिकरण
(बैंक द्वारा रखने के लिए)

प्रबंधक,

बैंक का नाम : ----------

बैंक का पता : ----------

खाता संख्या : ----------

महोदय,

मै/हम यह सूचित करना चाहता हूँ/चाहते है कि मैने/हमने अपनी नई/विद्यमान पॉलिसी/सियों के LIC को प्रिमियम भुगतान करने के लिए ई.सी.एस. सुविधा प्रयोक्ता कोड 4009056 के अंतर्गत रजिस्टर किया है । मै/हम बैंक को अपने उपरोक्त खाते को डेबिट कर RBI की ईलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा द्वारा प्राप्त सभी अनुदेशोंका ऑनर करने के लिए अधिकृत करता हूँ/ करते है ।

पॉलिसी संख्या	बीमा किश्त	देय विधि.
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____

6. नई पॉलिसी : प्रपोजल सं. _____ दिनांक : _____

(अधिक पॉलिसियाँ होने पर अलग सूची जोड सकते है ।)

खाता धारक/कों के हस्ताक्षर : ----------

दिनांक : ---------- स्थान : ----------

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं बैंक की मुहर

क्र	कॉलम सं		निर्देश
			आवेदन का उद्देश स्पष्ट करें (नया आवेदन / बैंक मे बदलाव या निरस्तीकरण)
1	1 अ		पॉलिसी धारक/कों का/के नाम.
2	1 ब	1	यदि विद्यमान पॉलिसियों की संख्या 5 से ज्यादा हो तो अन्य पॉलिसियों का विवरण भिन्न शीट पर संलग्न कर देना चाहिए जो कि बीमाधारक एवं खाताधारक द्वारा हस्ताक्षरित हो.
		2	पॉलिसी संख्या बीमाधारक का नाम, देय विधि (वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक) एवं सही बीम किश्त संबंधित कॉलम में लिखना है.
		3	नई पॉलिसी के लिए, यदि उपलब्ध हो तो प्रपोजल संख्या दुसरे कॉलम मे लिखनी है.
3	1 स		फोन नंबर एवं इ-मेल एडरेस, यदि उपलब्ध हो तो.
4	2 अ		बैंक का नाम उदाहरण के लिए "भारतीय स्टेट बैंक".
5	2 ब		बैंक का नाम व पता जिस प्रकार चैक बुक पर दिया गया हो, यदि उपलब्ध हो तो बैंक के फोन नं. के साथ.
6	2 स		खाताधारक का नाम जैसे चैक बुक अथवा पासबुक में उल्लिखित हो. यदि खाता संयुक्त नाम में है तो सभी खाताधारकोंके नाम दिए जाने चाहिए. एक निरस्त चैक अथवा चैक की फोटोकॉपी संलग्न
			चाहिए.
7	2 ड		खाता टाइप का कोड देना है. ये कोड इस प्रकार है. बचत खाता – 10, चालू खाता – 11, ओवर ड्राफ्ट – 13.
8	2 ई		पूरी एवं सही खाता संख्या देनी है. खाता संख्या के अंकों की संख्या अधिकतम 15 है. यदि यह संख्या 15 से ज्यादा है तो अपने बैंक से संपर्क कर ECS के लिए 15 अंकों की सही संख्या ज्ञात क
			उदाहरण. पंजाब नैशनल बैंक के अनुसार उनके 16 अंकों की खाता संख्या से बाएँ से पाँचवी संख्या को हटा देना है.
9	2 फ		MICR संख्या 9 अंकों की संख्या है जो चैक के अधोभाग पर दर्शित होती है. इस संख्या के प्रथम व अंतिम 3 अंक '000' नही होने चाहिए. "एट पार" खाता प्रकार के लिए सही MICR संख्या चै
			प्रथम पृष्ठ पर दर्शित होती है.
10			मैंडेट फॉर्म बीमाधारक/कों एवं खाताधारक/कों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.
11			मैंडेट फॉर्म की एक प्रतिलिपि बैंक में भी अवश्य जमा करानी चाहिए.

ई.सी.एस. सुविधा के नियम एवं शर्ते

1. यह सुविधा नई पॉलिसियों के लिए NB अवस्था में एवं विद्यमान पॉलिसियों के लिए PS अवस्था में उपलब्ध है ।
2. NB अवस्था में केवल मासिक ECS विधि, जिसमें 5% अतिरिक्त प्रीमियम देय नहि है, ही स्वीकृत है। ULIP योजना के अंतर्गत केवल NB अवस्था मे ECS विधि का विकल्प दिया जा सकता है।
3. ECS सुविधा का विकल्प देते समय, उस समय तक देय सभी प्रिमियम का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ECS द्वारा बकाया किश्तें नही भरी जा सकती।
4. ECS सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी भी LIC शाखा कार्यालय में, कम से कम एक पॉलिसी सर्विस की जाती हो, मैंडेट फॉर्म जमा किया जा सकता है । यदि आपका बैंक खाता किसी भी ऐसे स्थान पर है, जहाँ LIC की ECS सेवा चालू है, तो आप ECS सुविधा का लाभ उठा सकते है ।
5. ECS मैंडेट फॉर्म का बैंक द्वारा सत्यापित होना व एक प्रतिलिपि उनके पास उनके रिकार्ड हेतु जमा करा आवश्यक है ।
6. मान्य डेबिट तिथियाँ केवल 7, 15 एवं 28 है। (दोनो NB एवं PS अवस्था में) ये तिथियाँ पॉलिसी चालू होने की तिथि के अनुसार स्वतः ही निम्न प्रकार से परिकलित होती है : पॉलिसी की चालू होने की तिथि यदि 1 से 7 के बीच है तो डेबिट डेट उस माह 7 तिथि होगी, यदि 8 से 15 के बीच है तो उस माह की 15 तारीख एवं यदि 16 से 31 के बीच है तो उस माह की 28 तारीख ।
7. वर्तमान में डेबिट डेट चुनने की सुविधा नहीं है एवं ECS विधि के अंतर्गत किश्त जमा कराने के लिए पुर्ण रियायत अवधि (ग्रेस पीरियड) उपलब्ध नही होगी ।
8. ECS विधि की पॉलिसी का प्रीमियम शाखा कार्यालय के कैश काउंटर या अन्य विधियों द्वारा नहीं भरा जा सकेगा । केवल ECS डिसॉनर होने पर शाखा कार्यालय में जमा किया जा सकता है ।
9. बीमाधारक के लिए आवश्यक है कि वह डेबिट डेट पर अपने खाते में पर्याप्त राशि शेष रखें । मैंडेट के डिसॉनर होने पर पॉलिसीधारक को प्रीमियम किसी भी LIC शाखा कार्यालय के कैश काउंटर पर डिसॉनर शुल्क (यदि देय है) एवं विलम्ब शुल्क (यदि देय है) के साथ जमा करना होगा ।
10. डिसॉनर किश्त को जमा कराते समय, उस माह तक देय सभी किश्तें (डेबिट डेट का ध्यान किए बिना) अनिवार्य रुप से जमा की जानी होगी । यदि अगले माह की देय तिथि भी 15 दिन के अन्दर है तो वह किश्त भी जमा करनी होगी ।
11. LIC किसी भी कारण के लिए मैंडेट डिसॉनर के लिए उत्तरदायी नही होगा । डिसॉनर सम्बन्धी कोई भी विवाद पॉलिसीधारक को बैंक के समक्ष ही प्रस्तुत करना होगा ।
12. बैंक विवरण बदलने के लिए निवेदन सर्विसिंग शाखा मे देना होगा, जिस पर ऊपर स्पष्ट रूप से "बैंक विवरण बदलने के लिए निवेदन" लिखा होना चाहिए ।
13. यदि पॉलिसी को ECS विधि द्वारा रजिस्टर किया है कृपया दुहरे पेमेंट से बचने के लिए किसी अन्य विधि द्वारा प्रीमियम न भरे ।
14. मासिक ECS विधि से रजिस्टर्ड पॉलिसियों के लिए भुगतान सूचना एवं प्रीमियम रसीद नही भेजी जाएगी । शाखा द्वारा मार्च/अप्रैल माह में वार्षिक प्रमाण पत्र भेजा जाएगा । LIC की वेबसाईट www.licindia.in द्वारा पॉलिसी एनरोल कर प्रीमियम पेमेंट सर्टिफ़िकेट प्राप्त किया जा सकता है ।
15. अन्य विधियों (Yly,Hly,Qly) के लिए साधारण डाक द्वारा शाखा के पॉलिसी रिकॉर्ड में उप्लब्ध पते पर रसीद भेजी जाएगी । रसीद मिलने में 7 से 15 दिन का समय लग सकता है । यदि किसी वजह से रसीद प्राप्त नही होती है तो किसी भी LIC शाखा द्वारा अथवा LIC वेबसाईट से प्रीमियम पेमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है ।
16. कभी यह संभव है कि किसी तकनिकि अथवा अन्य कारणों कि वजह से प्रीमियम डेबिट तिथि पर न डेबिट हो व इसमें कुछ समय का विलम्ब हो जाए । डिसॉनर से बचने के लिए अपने खाते में पर्याप्त राशि डेबिट डेट के 7 दिन बाद तक रखनी चाहिए ।
17. यदि RBI द्वारा "बैन" निर्देश की वजह से आपका बैंक ECS के क्लीयरिंग ऑपरेशन में भाग नहीं ले पाता है तो LIC द्वारा ECS इंवॉयस नहीं भेजी जाएगी । ऐसी स्थिति में प्रीमियम का भुगतान स्वयं किसी अन्य विधि द्वारा करना होगा ।
18. यदि पॉलिसी धारक ECS सुविधा को निरस्त करना चाहता है, तो उसे अपने शाखा कार्यालय में मासिक विधि के पॉलिसी के लिए कम से कम 20 दिन पहले व अन्य विधि की पोलिसी के लिए 30 दिन पहले आवेदन देना होगा ।
19. यदि आपका एकाउंट कोड 15 अंकों से कम है तो संभव है कि यह आपके बैंक के 'कोर बैंकिंग सिस्टम' मे परिवर्तन के पश्चात बदल चुका हो अथवा बदल जाए । कृपया अपने बैंक से निश्चित करने के बाद सही एवं परिवर्तित एकाउंट कोड ही दें । यदि आप्का बैंक, परिवर्तित खाता संख्या सूचित करता है तो उसे अपडेट किया जाएगा।
20. शाखा कार्यालय द्वारा प्राप्त ECS के प्राप्ति सूचना पत्र को भली प्रकार जाँच लें व कोई भी अंतर अथवा अशुद्धी ध्यान में आने पर शाखा कार्यालय को सूचित करें ।